28/6/17

पत्रावली मय समय आमके गए मैंने उसे देखा हुई मामले में प्रकरण की जानकारी ली गई। काफी उम्र 2017 में कि फोटो तो अब है जिनके कागज प्रकाश भी रेकर्ड पर नहीं आने से काफी फोटो होने से रद्द कर दिए वरिष्ठ अधिकारी नहीं रद्द नहीं है अतः पत्रावली खारीज की जाती है। पत्रावली कैलाश कुमार सिंह सहायक कलक्टर को वापस

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner